एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

fo"k; lwph

		i"B la-
1.	निदेशक – मंडल	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	4
4.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	5
5.	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	9
6.	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि खाता	10
7.	नकदी प्रवाह विवरणी	11
8.	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण का भाग निर्मित करने वाली टिप्पणियां	12

funs'kd&eMy ¼13-05-2014 ds vuqlkj½

श्री रोहित नन्दन vè;{k

श्रीमती एम. सत्यवती

श्री अरुण कुमार

श्री एस. वेंकट

dEiuh lfpo

श्री रजनी कान्त

ys[kk ijh{kd

मैसर्स झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स

iathÑr dk;kZy;

एअरलाइन्स हाउस

113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड

नई दिल्ली–110 001

fun'kdk dh fjiksVZ

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखों, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की नौवीं वार्षिक रिपोर्ट निदेशक सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

foÙkh; fu"iknu%

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई भी व्यावसायिक लेन–देन नहीं किए गए।

vU; foÙkh; lpuk%

'k;j iath%

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10,00,00,000/– रुपए है। कंपनी की 5,00,000/– रुपए (10/– रुपए प्रति के 50,000 इक्विटी शेयर) की सम्पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा सब्सक्राइब एवं प्रदत्त की गई है।

fon'kh enk e vtu%

कंपनी द्वारा कोई भी व्यावसायिक गतिविधि आरंभ न किए जाने के कारण समीक्षाधीन अवधि के लिए विदेशी मुद्रा की कोई आय नहीं हुई है।

ipkyuhdj.k%

मूल कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने दिनांक 07 अगस्त 2010 को आयोजित अपनी बैठक में एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड के प्रचालनीकरण को अनुमोदित कर दिया। प्रचालनीकरण के लिए केबिनेट नोट नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। केबिनेट ने दिनांक 06 सितम्बर 2012 को एआईईएसएल के प्रचालनीकरण को अनुमोदित कर दिया। यह प्रस्तावित है कि परिसम्पत्तियों एवं मानवशक्ति को केबिनेट के निर्णय के अनुसार एअर इंडिया लिमिटेड से एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड में स्थानांतरित किया जाएगा। एयरबस और बोइंग विमान बेड़े के अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (एमआरओ) गतिविधियों के लिए इस कंपनी को एक पृथक लाभ केन्द्र माना जाएगा। कंपनी में मानवशक्ति के स्थानांतरण के साथ दिनांक 1 फरवरी, 2013 से प्रचालनीकरण की प्रक्रिया तदनुसार आरंभ हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, एमआरओ गतिविधियों को आरंभ करने के लिए विभिन्न विनियामक एवं सांविधिक अनुमोदन/अनुपालन प्राप्त/पूरे करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

fun'kdk d nkf;Ro lcekh oDr0;%

कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:

1. वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है और इन लेखा मानकों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया गया है।
2. चयनित लेखांकन नीतियां संगत रूप से लागू की गई हैं एवं 31 मार्च 2013 को कंपनी के कार्यों की स्थिति एवं इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ व हानि को सही व निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निदेशकों के निर्णय एवं आकलन उचित एवं विवेकपूर्ण हैं,
3. कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है और
4. वार्षिक लेखे 'गोईंग कंसर्न' आधार पर तैयार किए गए हैं।

y[kk ijh{kd%

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए मैसर्स झावर मंत्री एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स मुंबई को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ।

fu;=d ,oa egkys[kk ijh{kd dh fVIif.k;ka

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए खातों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के समक्ष उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। सीएजी ने अपने दिनांक 02.05.2014 के पत्र संख्या एमबी11/रिपोर्ट/लेखा/एआईईएसएल/2012–13/टी–1249/29 द्वारा यह सूचित किया है कि उन्होंने एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के खातों के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है। अतः कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 615(4) के तहत कोई टिप्पणी नहीं है।

funs'kd eaMy

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गईं। वर्तमान निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित हैं:–

श्री रोहित नंदन — अध्यक्ष
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एअर इंडिया लिमिटेड

श्रीमती एम. सत्यवती
अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
नागर विमानन मंत्रालय

श्री अरुण कुमार
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय

श्री एस. वेंकट
निदेशक (वित्त)
एअर इंडिया लिमिटेड

ekU;okn iLrko

बोर्ड श्री एस. मछेन्द्रनाथन, डॉ. प्रभात कुमार, श्री जी. अशोक कुमार तथा श्री विपिन के. शर्मा को बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रदान किए गए सहयोग और मार्गदर्शन की विशेष सराहना करता है।

बोर्ड नागर विमानन मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निगमित कार्य मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

हस्ता./–
jksfgr uUnu
vè;{k

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 मई 2014

4

एआईईएसएल

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सूचित किया है कि यह उनके द्वारा दिनांक 03 अप्रैल, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निर्णय लिया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम धारा 619 (4) के अन्तर्गत कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-
परमा सेन
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-प्प्ए
मुम्बई

स्थान: मुंबई
दिनांक: 2 मई 2014

,vj bfM;k btfu;fjx lfolsl fyfeVM d lnL;k d fy, y[kkijh{kdk dh fjikVZ

foÙkh; fooj.kk ij fjikVZ

हमने एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (''कंपनी'') के दिनांक 31 मार्च, 2013 के तुलनपत्र, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण सहित संलग्न वित्तीय विवरणों और महत्त्वपूर्ण लेखा परीक्षा नीतियों के सार और अन्य स्पष्ट सूचना की लेखा परीक्षा की है।

foÙkh; fooj.kk d fy, icaèk oxZ dk nkf;Ro

कंपनी अधिनियम,1956 (''अधिनियम'') की धारा 211 की उप–धारा (3 सी) में संदर्भित लेखा मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत किए गए लेखा सिद्वांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन की सही और निष्पक्ष जानकारी देने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करना प्रबंध–वर्ग का दायित्व है। इस दायित्व में डिज़ाइन, वित्तीय विवरणों को तैयार करना तथा प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को लागू करना और रखरखाव सम्मिलित होता है एवं यह अपेक्षित होता है कि इनसे सही और निष्पक्ष जानकारी मिले तथा इसमें कोई भी धोखाधड़ी से या त्रुटिवश तथ्यपरक गलत विवरण न दिया गया हो।

y[kk ijh{kdk dk nkf;Ro

हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करना होता है। हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षत है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और अपनी लेखा परीक्षा इस प्रकार योजनाबद्ध और कार्यबद्ध करें कि इस आशय का उचित आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटनों पर लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करना सम्मिलित होता है। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती है जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखे से या त्रुटिवश हुए तथ्यपरक गलत विवरण के जोखिम का निर्धारण सम्मिलित होता है। इन जोखिम का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक, स्थितियों के अनुसार समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रिया डिज़ाइन करने के उद्देश्य से कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने और निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के समुचित प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के साथ–साथ उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंध वर्ग द्वारा बनाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य भी सम्मिलित होता है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं, वह हमारी लेखा परीक्षा राय को आधार देने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त हैं।

gekjh jk;

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए सही एवं निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैः

(क) तुलन–पत्र के मामले में, 31 मार्च 2013 को कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति का;

(ख) लाभ और हानि विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि का; और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का।

vU; fofèkd vkj fofu;ked vi{kkvk ij fjikVZ

1. जैसाकि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित और अधिनियम की धारा 227 की उप–धारा (4 ए) के संबंध में भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा संशोधित, जारी किया गया है, हमने आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्धारित मामलों पर अनुलग्नक में विवरण दिया है।

2. कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (छ) के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2013 को क्या निदेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से वंचित किया गया है, इसकी रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है क्योंकि यह दिनांक 21.10.2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के संबंध में सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।

3. जैसाकि अधियिनम की धारा 227 (3) में अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं किः–

क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थेः

ख) हमारी राय में, जहां तक इन लेखा–बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा–बहियां रखी है;

ग) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा–बहियों से मेल खाते हैं;

घ) हमारी राय में, तुलन–पत्र और लाभ और हानि विवरण अधिनियम की धारा 211 की उप धारा (3ग) में संदर्भित लेखकरण मानकों का पालन करते हैं;

ङ) चूंकि केन्द्रीय सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के तहत किस दर से शुल्क का भुगतान किया जाए और न ही उक्त धारा के तहत कोई नियम जारी किया है कि किस प्रकार से शुल्क का भुगतान किया जाए, अतः कंपनी के ऊपर कोई शुल्क देय नहीं है।

Ñr >koj e=h ,.M ,lkfl,Vl
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.113221W

हस्ता. / –
ch-ih- e=h
भागीदार
सदस्यता सं. 45701

स्थान : मुंबई
दिनांक : 3 अप्रैल 2014

Lor= y[kk ijh{kdk dh fjikVl dk vuqyXud

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के ''अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताएं'' के शीर्ष के अंतर्गत अनुच्छेद (I) में निर्दिष्ट

1. कंपनी के पास कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है। तद्नुसार खंड लागू नहीं है।

2. कंपनी कोई व्यापार अथवा उत्पादन संबंधी कार्य नहीं कर रही है। तद्नुसार इनवेंटरी संबंधी खंड लागू नहीं है।

3. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत मेंटेन किए गए रजिस्टर में दर्ज कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों से या उनको कंपनी द्वारा प्रदान किए गए अथवा लिए गए रक्षित अथवा अरक्षित ऋणों के संबंध में :

   क) कंपनी ने अपनी नियंत्रक कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड से अरक्षित ऋण लिए हैं। वह केवल एक पार्टी है और ऋण की राशि 9,80,881 है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत मेंटेन किए गए रजिस्टर में दर्ज कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को कंपनी ने रक्षित या अरक्षित कोई ऋण प्रदान नहीं किया है।

   ख) कंपनी द्वारा लिए गए इस प्रकार के ऋणों की ब्याज दर और अन्य निबंधन एवं शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

4. चूंकि वर्ष के दौरान, इनवेंटरी और अचल परिसंपत्तियों की खरीद तथा वस्तु के विक्रय तथा सर्विस से संबंधित कोई गतिविधियां नहीं हुई हैं, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

5. विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत मेंटेन किए गए रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने की आवश्यकता हो। तद्नुसार यह खंड लागू नहीं है।

6. वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से कोई आवधिक जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

7. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कपंनी को इस खंड के अनुसार औपचारिक आंतरिक लेखा–परीक्षा प्रणाली की आवश्यकता नहीं है।

8. हमें दी गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 209 की उप धारा (I) के खंड (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों की मेंटेनेस को निर्धारित नहीं किया है।

9. (क) चूंकि कंपनी के प्रचालन अभी आरंभ होने शेष हैं इसलिए अधिकांश सांविधिक प्रावधान लागू नहीं हैं। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2013 को, उनके देय होने की तिथि से, 6 माह से अधिक समय के लिए कोई भी अन्य अविवादित सांविधिक देयताएं बकाया नहीं हैं।

   (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, धन कर, सेवा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस (उप कर) की कोई भी देयता बकाया नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा किया गया हो।

10. कंपनी के ऊपर 10,02,290/– रुपए की संचित हानि है जो इसके निवल मूल्य से 50% अधिक है। वर्ष के दौरान कंपनी को 21,480/– रुपए की नगद हानि हुई है। पिछले वित्त वर्ष में 29,832/रुपए की नगद हानि हुई थी।

11. कंपनी के ऊपर वित्तीय संस्था, बैंक अथवा डिबेंचर धारकों की कोई उधारी नहीं है। तद्नुसार यह खंड लागू नहीं है।

12. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर कोई भी ऋण अथवा अग्रिम मंजूर नहीं किया है।

13. कंपनी कोई चिट फंड या कोई निधि/म्युचुअल बेनिफिट फंड/सोसायटी नहीं है। इसलिए कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड 4(xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

14. विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में कोई लेन–देन अथवा व्यापार नहीं किया है। तद्नुसार यह खंड लागू नहीं है।

15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी अन्य के द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई आवधिक ऋण प्राप्त नहीं किया है। तद्नुसार यह खंड कंपनी के ऊपर लागू नहीं है।

17. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच के आधार पर, हमारा मत है कि अल्पकालिक आधार पर ऐसा कोई फंड नहीं बनाया गया है जिसे दीर्घकालिक निवेश के लिए इस्तेमाल किया गया हो।

18. कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन (प्रीफेरेंशियल अलॉटमेंट) नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान डिबेंचर जारी करके कोई धन इकट्ठा नहीं किया है।

20. कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इशू के माध्यम से कोई धन इकट्ठा नहीं किया है।

21. हमारी जानकारी और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के ऊपर और उसके द्वारा फ्रॉड (कपट) की घटना न तो देखी गई है और न ही रिपोर्ट की गई है।

Ñr >koj e=h ,.M ,lkfl,V~l
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.113221W

हस्ता./–
ch-ih- e=h
भागीदार
सदस्यता सं. 45701

स्थान : मुंबई
दिनांक : 3 अप्रैल 2014

9

एआईईएसएल

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र
(राशि रुपये में)
विवरण टिप्पणी सं. 31 मार्च, 2013 को 31 मार्च, 2012 को

प्ण् इक्विटी तथा देयताएं
शेयर धारकों की निधियां
शेयर पूंजी 2 500,000 500,000
आरक्षिति तथा अधिशेष 3 ;1,002,290द्ध ;980,810द्ध
गैर चालू देयताएं
दीर्घकालिक ऋण 4 980,881 943,835
चालू देयताएं
अन्य चालू देयताएं 5 21,409 36,975
कुल 500,000 500,000
प्प्ण् परिसम्पत्तियां
चालू परिसम्पत्तियां
नकद तथा नकद समतुल्य 6 500,000 500,000
कुल 500,000 500,000
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां 1
वित्तीय विवरण के लिए संलग्न टिप्पणियां देखें
हमारी संलग्न उसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं की ओर से बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से
झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकांउटेन्ट हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./-
फर्म पंजीकरण सं.ः 113221ॅ रोहित नन्दन एस. वेंकटएच.आर. जग्गननाथ
अध्यक्ष निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./-
बी.पी.मंत्री राजीव गुप्ता रजनीकान्त
भागीदार वित्त प्रमुख कंपनी सचिव
सदस्यता सं.ः 045701

स्थान: मुंबई स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 अप्रैल 2014 दिनांक: 24 मार्च 2014

10

एआईईएसएल

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण
(राशि रुपये में)
विवरण टिप्पणी सं. 2012-2013 2011-2012

प्ण् प्रचालन से राजस्व . .
प्प्ण् कुल राजस्व (प्) . .
प्प्प्ण् व्यय
अन्य व्यय 7 21,480 29,832
कुल व्यय 21,480 29,832

प्टण् विशिष्ट एवं असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ (प्प्-प्प्प्) ;21,480द्ध ;29,832द्ध

टण् विशिष्ट मदें . .
टप्ण् असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ (प्ट-ट) ;21,480द्ध ;29,832द्ध
टप्प्ण् असाधारण मदें . .

टप्प्प्ण् कर पूर्व लाभ (टप्-टप्प्) ;21,480द्ध ;29,832द्ध
प्ग्ण् कर व्ययः
चालू कर . .
आस्थगित कर . .

ग्ण् अवधि के लिए लाभ (हानि) (टप्प्प्-प्ग्) ;21,480द्ध ;29,832द्ध

ग्प्ण् प्रति इक्विटी शेयर आय:
बेसिक और डायल्यूटिड 9 ;0.43द्ध ;0.60द्ध

वित्तीय विवरण के लिए संलग्न टिप्पणियां देखें
हमारी संलग्न उसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं की ओर से बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से
झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकांउटेन्ट हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./-
फर्म पंजीकरण सं.ः 113221ॅ रोहित नन्दन एस. वेंकटएच.आर. जग्गननाथ
अध्यक्ष निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./-
बी.पी.मंत्री राजीव गुप्ता रजनीकान्त
भागीदार वित्त प्रमुख कंपनी सचिव
सदस्यता सं.ः 045701

स्थान: मुंबई स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 अप्रैल 2014 दिनांक: 24 मार्च 2014

11

एआईईएसएल

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी
(राशि रुपये में)
विवरण 2012-13 2011-12

1 प्रचालित गतिविधियों से नकदी प्रवाह
कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) ;21,480द्ध ;29,832द्ध

चालू देयताओं में समायोजित ;15,566द्ध 21,533
प्रचालित गतिविधियों से होने वाला निवल नकदी प्रवाह ;37,046द्ध ;8,299द्ध
2 निवेशित गतिविधि से होने वाला नकदी प्रवाह . .
3 वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त राजस्व . .
प्राप्त ऋण 37,046 8,299 वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त निवल नकदी प्रवाह 37,046 8,299
नकद तथा नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी) . .
नकद/नकद समतुल्य का अथशेष 500,000 500,000
नकद/नकद समतुल्य का अंतशेष 500,000 500,000
वित्तीय विवरण के लिए संलग्न टिप्पणियां देखें
हमारी संलग्न उसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं की ओर से बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से
झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकांउटेन्ट हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./-
फर्म पंजीकरण सं.ः 113221ॅ रोहित नन्दन एस. वेंकटएच.आर. जग्गननाथ
अध्यक्ष निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./-
बी.पी.मंत्री राजीव गुप्ता रजनीकान्त
भागीदार वित्त प्रमुख कंपनी सचिव
सदस्यता सं.ः 045701

स्थान: मुंबई स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 अप्रैल 2014 दिनांक: 24 मार्च 2014

12

एआईईएसएल

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण का भाग निर्मित करने वाली टिप्पणियां
नोट ’’1’’: महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियांः

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधारः

वित्तीय विवरण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार मूल लागत रीतियों के तहत तैयार किए गए हैं। कंपनी, लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली का अनुसरण करती है।
कंपनी को अपना प्रचालन अभी आरंभ करना है। लेखे ’’गोइंग कन्सर्ग’’ आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. वर्तमान तथा आस्थगित कर के लिए प्रावधानः

आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया जाता
है। तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित की गई कर दरों और विधियों का प्रयोग करके बहीखातों और कर योग्य लाभों के बीच के समय के अंतर के आधार पर आस्थगित कर की पहचान की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान की

जाती है और उन्हें एक निश्चित सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है जिससे वास्तव में यह सुनिश्चित हो कि भविष्य में परिसंपत्तियों
की वसूली की जाएगी।
3. प्राथमिक व्ययः

प्राथमिक व्यय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35डी के प्रावधानों के अनुसार पांच वर्षों की अवधि में बट्टे खाते में डाले जाते हैं।

नोट ’’2’’: शेयर पूंजी
(राशि रुपये में)

विवरण 31 मार्च 2013 को 31 मार्च 2012 को
संख्या राशि रुपए में संख्या राशि रुपए में
क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर
10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर 9,000,000 90,000,000 9,000,000 90,000,000
100 रुपए प्रत्येक के प्रेफेरेन्स शेयर 100,000 10,000,000 100,000 10,000,000
कुल 100,000,000 100,000,000
ख) जारी, अभिदत्त तथा प्रदत्त
10 रुपए प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर 50,000 500,000 50,000 500,000
कुल 500,000 500,000
ग) शेयरों का समाधान चालू वर्ष पिछला वर्ष
शेयरों की
संख्या

राशि शेयरों की
संख्या

राशि

इक्विटी शेयर
शुरू में बकाया शेयर 50,000 500,000 50,000 500,000
जमा: वर्ष के दौरान जारी . . . .
घटा: वर्ष के दौरान कमी . . . .
वर्ष के अंत में बकाया शेयर 50,000 500,000 50,000 500,000
घ) नियंत्रक कंपनी, सब्सीडरी तथा सहायकों के पास
शेयरों का विवरण

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष 31मार्च 2012 को समाप्त वर्ष
प्रतिशत शेयरों की
संख्या

प्रतिशत शेयरों की
संख्या

नियंत्रक कंपनी के शेयर
एअर इंडिया लिमिटेड 100ः 50,000 100ः 50,000
ङ) मुख्य शेयर धारकों का विवरण जिनके पास उक्त
जारी पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं।
शेयर धारक का नाम

चालू वर्ष पिछला वर्ष
शेयर की
संख्या

धारकों का
प्रतिशत

शेयर की
संख्या

धारकों का
प्रतिशत

एअर इंडिया लिमिटेड 50,000 100 50,000 100
50,000 100 50,000 100

13

एआईईएसएल

नोट ’’3’’: आरक्षिति तथा अधिशेष
(राशि रुपए में)
विवरण 31 मार्च 2013 को 31 मार्च 2012 को

लाभ तथा हानि खाते में अधिशेष
अथशेष ;980,810द्ध ;950,978द्ध
($) चालू वर्ष के लिए निवल हानि ;21,480द्ध ;29,832द्ध
कुल ;1,002,290द्ध ;980,810द्ध

नोट ‘‘4’’: दीर्घकालीन ऋण
(राशि रुपए में)
विवरण 31 मार्च 2013 को 31 मार्च 2012 को

संबंधित पार्टी के असुरक्षित ऋण
नियंत्रण कंपनी से
एअर इंडिया लिमिटेड 980,881 943,835
(ब्याज की दर- शून्य पुनर्भुगतान शर्तें - शून्य)
कुल 980,881 943,835

नोट ‘’5’’: अन्य चालू देयताएं
(राशि रुपए में)
विवरण 31 मार्च 2013 को 31 मार्च 2012 को

देय व्यय 21,409 36,975

कुल 21,409 36,975

नोट ‘’6’’: नकद तथा नकद समतुल्य
(राशि रुपए में)
विवरण 31 मार्च 2013 को 31 मार्च 2012 को

चालू खातों में बैंकों के पास शेष 500,000 500,000

कुल 500,000 500,000

नोट ‘’7’’: अन्य व्यय
(राशि रुपए में)
विवरण 2012-13 2011-12
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (टिप्पणी संख्या 8 देखें) 11,236 11,236
विधिक, व्यावसायिक तथा फाइलिंग शुल्क 10,244 18,596
कुल 21,480 29,832

ukV ^*8** % tSls ys[kk ijh{kdk dks Hkqxrku

¼jkf'k #i, eas½

fooj.k		2012&13	2011–12
सांविधिक लेखा परीक्षा		**10,000**	10,000
सेवा कर की प्रतिपूर्ति		**1,236**	1,236
	dqy	**11,236**	11,236

ukV ^*9** % izfr 'ks;j lS vk; ¼bih,l½

¼jkf'k #i, eas½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
लाभ हानि खाते (रुपए) के अनुसार कर पश्चात निवल लाभ	**(21,480)**	(29,832)
इक्विटी शेयर की वैटिड औसत संख्या	**50,000**	50,000
वर्ष के दौरान बकाया		
बेसिक एंड डायल्यूटिड अर्जन/(हानि) प्रति शेयर (रुपए)	**(0.43)**	(0.60)
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (रुपए)	**10**	10

ukV **10** % vkLFkfxr dj%

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी ''आय पर कर के लिए लेखांकन'' संबंधी लेखा मानक 22 के अनुसार, विश्वास योग्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित ऐसी कोई वास्तविक निश्चितता नहीं है कि भविष्य में कर योग्य पर्याप्त आय होगी जिसके लिए आस्थगित कर की वसूली की जा सकती है। अतः वर्तमान वर्ष में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की गई ।

ukV **11**%

कंपनी को अपना प्रचालन अभी आरंभ करना है। कंपनी किसी भी टर्नओवर अथवा प्राप्तियों की अनुपस्थिति में कपंनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 (ए) के तहत किसी उपकर के भुगतान अथवा प्रावधान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

15

एआईईएसएल

नोट ‘’12’’: संबंधित पार्टी का प्रकटन
(राशि रुपए में)
संबंधित पार्टी से वर्ष के दौरान लेन देन नियंत्रक कंपनी कुल

व्यय प्रतिपूर्ति 37,046 37,046
(8,299) (8,299)

31 मार्च, 2013 को अरक्षित ऋण शेष 980,881 980,881
(943,835) (943,835)

संबंधित पार्टी के साथ संबंध तथा विवरण, नाम
क्रम संख्या संबंध पार्टी का नाम
1 नियंत्रक कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड

नोट ‘’13’’:

गत वर्ष के आंकड़ों को संशोधित अनुसूची प्ट प्रोफार्मा के अनुसार चालू वर्ष में प्रस्तुत करने हेतु पुष्टि जहां कहीं आवश्यक समझी गई है। समूहीकरण या पुनः वर्गीकरण किया गया है।
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

हमारी संलग्न सम तिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं की ओर से बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से
झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकांउटेन्ट हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./-
फर्म पंजीकरण सं.ः 113221ॅ रोहित नन्दन एस. वेंकटएच.आर. जग्गननाथ
अध्यक्ष निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./-
बी.पी.मंत्री राजीव गुप्ता रजनीकान्त
भागीदार वित्त प्रमुख कंपनी सचिव
सदस्यता सं.ः 045701

स्थान: मुंबई स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 अप्रैल 2014 दिनांक: 24 मार्च 2014